तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व [illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी
17/11/20	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थामान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 9/2/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
9/2/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/3/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
18/3/21	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार चौड़ा द्वारा (परवाड़) प्रस्ताव पत्रावली में पूर्व में ही प्रेषित है प्रार्थी/अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। वादी का वाद पत्र न्यायिक क्षेत्राधिकार से स्वीकार योग्य है अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद में अन्तिम डिक्री के आदेश पारित [illegible] निर्णय पृथक से लिखा [illegible] किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] से कमरा। [signature] Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.04.08 11:43:25 IST Reason: SelfAttested	

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री महीपाल सिंह आर. ए. एस.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या – 101 / 2018 राजस्व वाद
दायर दिनांक – 07 / 06 / 2018
निर्णय दिनांक – 18 / 03 / 2021

अनवान

1. बालु पिता भागु बलाई उम्र वयस्क निवासी रमा विहार , भीलवाडा जिला भीलवाडा —— (वादी)

बनाम

1. बालु पिता भोना रेगर उम्र वयस्क निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. भैरूलाल पिता मोहन ढोली उम्र वयस्क निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. प्रभुलाल पिता. उगमा रेगर उम्र वयस्क निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. भोला पिता केशा रेगर उम्र वयस्क निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

वादी की ओर से श्री मुरारी जोशी व पैरोकार सरकार उपस्थिति मे इस वाद मे आज दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम नि[illegible] आदेश दिया जाता हैं कि और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि – और इस वाद के खर्चे लेखो का [illegible] रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत – प्रतिवर्ष की दर [illegible] दी जावे :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती हैं कि प्रारम्भिक डिक्री मे तहसीलदार बनेड़ा द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा हक हिस्से व वाद अनुसार हैं। अतः फर्द बंटवारा रिपोर्ट स्वीकार किया जाते हुये वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता हैं।

वाद वादी मे प्रस्तुत फर्द बंटवारा रिपोर्ट व प्रमाणित नक्शा ट्रेस अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन स्वीकार किया जाता हैं। इसी अनुसार अंतिम डिक्री मे मुर्तिब हो। राजस्व रिकार्ड मे भी तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

अधिकारी

खाता संख्या 365 किता 03 रकबा 6–18 बीघा में

(1) वादी बालु पिता भागु बलाई सा0 रमा विहार भीलवाडा खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2331/1	2–06 बीघा	बारानी द्वितीय	3.45
कुल किता 01	2–06 बीघा		3.45

(2) प्रतिवादी गण श्री बालु पिता भोजा रेगर 1/2 भोला पिता केशा रेगर 1/2 सा देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2331 मी.	2–08 बीघा	बारानी द्वितीय	3.60
2334	0–03 बीघा	बी.ब.	0.07
2336	2–01 बीघा	बारानी प्रथम	3.07
कुल किता 03	4–12 बीघा		6.74

एवं खाता संख्या 430 किता 03 रकबा 2–05 बीघा में

(1) वादी बालु पिता भागु बलाई सा0 रमा विहार भीलवाडा खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2333/1	0–15 बीघा	बारानी प्रथम	1.125
कुल किता 01	0–15 बीघा		1.125

(2) प्रतिवादी गण श्री भैरूलाल पिता मोहन ढोली , प्रभुलाल पिता उगमा रेगर 1/2 , बाल पिता भोना 1/2 रेगर सा देह खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2333 मी.	0–07 बीघा	बारानी प्रथम	0.525
2335	0–02 बीघा	बी.ब.	0.04
2482	1–01 बीघा	बी.ब.	0.47
कुल किता 03	1–10 बीघा		1.035

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:25 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस मे प्रदर्श रास्तें [illegible] नक्शा डिक्री के साथ चस्पा किया जावे। इसी अनुसार अंतिम डिक्री मुर्तिब हो [illegible] करे।

आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोलमोहर से जारी गयी।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 101 / 2018 राजस्व वाद

अनवान

1. बालु पिता भागु बलाई उम्र वयस्क निवासी रमा विहार, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0 –– (वादी)

बनाम

1. बालु पिता भोना रेगर उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
2. भैरूलाल पिता मोहन ढोली उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
3. प्रभुलाल पिता उगमा रेगर उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4. भोला पिता केशा रेगर उम्र *वयस्क निवासी बेंरा तहसील* बनेडा जिला भीलवाडा राज.
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

––(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक – 19.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादी की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम **ग्राम बेंरा प0ह0 बेंरा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बेंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 311 की आ0न0 2331, 2333, 2334, 2335, 2336, 2482 कुल किता 06 रकबा 09–03 बीघा** आराजियात स्थित हैं। जिसमे वादी व प्रतिवादी गण संख्या 01 लगायत 04 का हिस्सा निहित हैं। वादी शामलाती आराजियात होने से अपने हक हिस्से की आराजी का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादीगण बंटवारा कराने को सहमत नहीं हैं इसलिए वाद वादी स्वीकार फरमाते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात मे से वादी को खातेदार काश्तकार [illegible] एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादी का नाम [illegible] करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही विपक्षीगणो के विरूद्ध स्थाई [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणो को जारी सम्मन नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। नियत सुनंवाई दिनांक 13.08.2019 पर विपक्षी कम 01 से 04 के सुचित होने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादी के अधिवक्ता ने वादी की शहादत्त में गवाह वादी की और से जरिये अधिवक्ता शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर, लाल स्याही से क्रमशः पी.डब्ल्यू–01 का

अंकन किया गया व वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख चालु जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस को लाल स्याही से क्रमशः प्रदर्श 01, प्रदर्श 02 का अंकन किया गया।

उपस्थित वादी अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी ने नियत सुनवाई पर न्यायालय मे समक्ष प्रकरण को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। वाद पत्र आराजियात बटंवारा बाबत हैं। बहस वादपत्र ने सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के सहखातेदार होने से उसके हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

वादी/अधिवक्ता वादी के कथनो से हम सहमत है कि वादपत्र बाबत आराजीयात विभाजन का प्रस्तुत हुआ है एंव वादी विवादित आराजीयात में बतौर सहखातेदार होकर अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं, एंव इसके विरुद्ध प्रकरण में कोई प्रतिरोध भी रिकार्ड पर उपलब्ध नही है। अतः वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रारंम्भिक डिक्री किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

दिनांक – 19.11.2019

वाद पत्र बहक वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि **ग्राम बेंरा प0ह0 बेंरा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बेंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 311 की आ0न0 2331, 2333, 2334, 2335, 2336, 2482 कुल किता 06 रकबा 09–03 बीघा** भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे अंकित आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:25 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 101/2018 राजस्व वाद

अनवान

1 बालु पिता भागु बलाई उम्र वयस्क निवासी रमा विहार, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

–– (वादी)

बनाम

1. बालु पिता भोना रेगर उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
2. भैरूलाल पिता मोहन ढोली उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
3. प्रभुलाल पिता उगमा रेगर उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
4. भोला पिता केशा रेगर उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

––(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

दिनांक– 19.11.2019

वादपत्र वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री ब–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती हैं एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम बेंरा प0ह0 बेंरा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बेंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 311 की आ0न0 2331, 2333, 2334, 2335, 2336, 2482 कुल किता 06 रकबा 09–03 बीघा भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य हक हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 18–21 की पालना करते हुए करते हुये मीट्स एण्ड बाऊण्ड के आधार पर विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे दिनांक 12.12.2019 तक प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:25 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा